

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 295/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

पी एन बी हाउसिंग फाईनेन्स लि. 9 वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली, क्षेत्रीय
कार्यालय यू डी बी टावर, नगर निगम के सामने, टॉक रोड, जयपुर।

बनाम

प्रार्थी बैंक

1. श्रीमती लता रावत पत्नी श्री हरिनारायण रावत
2. केशव रावत पुत्र श्री हरिनारायण रावत

पता- प्लॉट नं. 135, संतोष नगर, कालोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

फ्लैट नं.-जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, फ्लैट नं. बी-2, पार्कव्यू अपार्टमेन्ट, प्लॉट नम्बर 59, गांधी पथ
वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the
securitisation and reconstruction of financial assets
and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।



आदेश

दिनांक: 19.01.2021

प्रकरण में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
15.07.2015 पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती लता रावत के स्वामित्व
की सम्पत्ति फ्लैट नं.-जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, क्षेत्रफल 766.23 वर्गफिट एवं फ्लैट नं. बी-2,
बेसमेन्ट, क्षेत्रफल 478 वर्गफिट पार्कव्यू अपार्टमेन्ट, प्लॉट नम्बर 59, गांधी पथ वैशालीनगर,
जयपुर को बन्धक रख 30,18,500/-रुपये एवं 7,07,000/-रुपये कुल राशि 37,25,500/-
रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को
ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी
को दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के
बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The
securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का
भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध
किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना
पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो उपस्थित हुआ एवं बकाया ऋण राशि अदा करने के
लिए समय चाहा।

तल
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया ।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 नवम्बर, 2003 के क्रम संख्या 8 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।
5. अप्रार्थी ऋणी ने बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए अवसर चाहा है । प्रार्थी वित्तीय संस्था को बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा क्यों नहीं दिलाया जाये इस बाबत कोई उचित कारण नहीं बताया । सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने के प्रावधान है, इसलिए और अधिक समय दिया जाना उचित नहीं है ।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 37,25,500/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है । अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 34,17,086/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.01.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है । प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है ।



- अंतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती लता रावत के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं.-जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, क्षेत्रफल 766.23 वर्गफिट एवं फ्लैट नं. बी-2, बेसमेन्ट, क्षेत्रफल 478 वर्गफिट पार्कव्यू अपार्टमेन्ट, प्लॉट नम्बर 59, गांधी पथ वैशालीनगर, जयपुर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।
8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपयुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें ।
 9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।
 10. आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

19/1/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर